send Hard copy

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2024/ 8131 दिनांक : 07/06/2024

।। विज्ञप्ति ।।

इस न्यायक्षेत्र में न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सा.दं.प्र) एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक हेतु आवंटित वाहन के संचालन हेतु 01 सेवानिवृत्त कार्मिक/होमगार्ड (वाहन चालक) की सेवाएं श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)/160/23/494 दिनांक 06.06.2024 की पालना में राजस्थान सरकार कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के क्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.03.2025 तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाएं ली जानी है।

शर्तेः-

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नही होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नही की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जावेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हे किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नही किया जावेगा।
6. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशो/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक दिनांक 15.06.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक व्यक्तिश अथवा डाक द्वारा इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। इस संबंध में जानकारी जिला न्यायालय की वेवसाईट districts.ecourts.gov.in/tonk पर एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है :-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र(एलपीसी) की प्रति
3. पीपीओं की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न है)

O/C

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.) 7-6-24

क्रमांक : स्था./2024/ 8132 to 8138 दिनांक : 07/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
4. जिला कलेक्टर, टोंक को समस्त विभागों/PSUs में सूचित करने हेतु।
5. टोंक न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय ....
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.) 7-6-24